

PAKUR NAGAR PARISHAD

पाकुर नगरपालिका अधिनियम-२०११ (बी) धारा १५२ (३) के अन्तर्गत स्थापित गरिएको पाकुर नगर क्षेत्र

Memo No : 476101220819120910  
 Date : 22-08-2019  
 प्राप्ति : 2 2019-2020

श्री/श्रीमती/सुश्री SHRIPAT KUMAR S/O RAM KISHON SINGH,  
 मोहल्ला KALPARA PAKUR PAKUR, 9934159851  
 PAKUR, 816107

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह से - 0090000295000A2 वार्ड से 9 हुआ है, आपके स्थ निर्धारण योजना पत्र के आधार पर बाबिक किराया मूल्य 5040/- रु० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	25.00
2.	जल कर	0.00
3.	पौधावलय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		25.00

To be signed by the Applicant



NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print

1. कर निर्धारण की सूची, PAKUR NAGAR PARISHAD Website, [www.lakhandada.net](http://www.lakhandada.net) पर उपलब्ध है।
2. नियमावली केडिका 11.4 के अंतर्गत में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो समूचित कर का 50% होगा।
3. प्रत्येक तिमाही वर्ष में समूचित कर का 1/3 भाग डेमांडिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए समूचित पूर्ति कर का भुगतान विधीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की छूट प्राप्त होगी।
5. किसी देय पूर्ति को निर्दिष्ट सामग्री (प्रत्येक तिमाही) के अन्तर्गत उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, जो 1% प्रतिमाह की दर से संचालन खर्च देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्थ निर्धारण पत्र की नई प्रतिलिपि के अन्तर्गत कर की जा रही है, इस स्थ निर्धारण-सह-योजना पत्र की सत्यापित जमा पत्र समूचित किया जा सकता है।
7. PAKUR NAGAR PARISHAD द्वारा स्थापित इस समूचित कर इन दर/दर/दर/दर/दर (Rate) एवं अंतर दिये जायेंगे।
8. अगर आपके नये एड्रेसिंग नही का आड्रेसिंग अंक 50/7/8 है तो यह निर्धार संरचना की शर्त के अन्तर्गत माना जायेगा।

कार्टी अधिकार प्रदान करता है।